न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 205/2020 दायर दिनाँक 14.08.2020

वादी

1. अब्दुल रहमान पुत्र स्व0 रमजान जाति व्यापारी मुस्लमान निवासी आस की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हरनारायण पुत्र केदारनाथ
2. प्रहलाद पुत्र केदारनाथ
3. मांगीलाल पुत्र केदारनाथ
4. पन्नालाल पुत्र किशनलाल
5. श्रीनिवास पुत्र नथमल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण थाणु तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
6. उस्मान पुत्र स्व0 रमजान
7. साबीर पुत्र स्व0 रमजान
8. जहाँगीर पुत्र स्व0 रमजान
9. जेनम पुत्री स्व0 रमजान
10. हुस्न पुत्री स्व0 रमजान
11. जाहिदा पुत्री स्व0 रमजान
12. खुर्शीदा पुत्री स्व0 रमजान समस्त जाति व्यापारी मुस्लमान निवासी आस की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
13. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।
14. उप पंजीयक तहसील कार्यालय डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री मो0 अली शैरानी वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 14.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम थाणु, पटवार हल्का सुपका, भू—अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र नुवां तहसील डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 130 रकबा 32 बीघा की वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 ता 05 के नाम गलत रूप से दर्ज है। उक्त खेत की वर्तमान खतौनी की नकल साथ में पेश है।

यह है कि वाकै सरहद ग्राम थाणू पटवार हल्का सूपका भू0अभि0 निरिक्षक क्षैत्र नुंवा में स्थित खेत खसरा सं0 130 रकबा 32 बीघा के पुराने खेत खसर सं0 106 रकबा 32 बीघा है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 6 ता 12 के पिता स्व0 रमजान ने अपने जीवनकाल में वाकै सरहद ग्राम थाणू में स्थित खेत खसरा सं0 130 रकबा 32 बीघा (पुराना खेत खसरा सं0 106 रकबा 32 बीघा) में दिनांक 11.02.1971 को 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि व दिनांक 24.03.1971 को इसी खसरा में से और 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल 21 बीघा भूमि खातेदारी किशनगोपाल पुत्र रामकुमार से जरिये अलग—अलग दो रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र से खरीद करके कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त खरीदसुदा खेत में अपने जीवनकाल में खेती करते आये थे।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 6 ता 12 [illegible] के [illegible] स्व0 रमजान का देहान्त दिनांक 04.03.2016 [illegible] के पश्चात उक्त 21 बीघा भूमि पर स्व0 [illegible] प्रतिवादी सं0 6 ता 12 काबिज चले आ [illegible] खरीदसुदा भूमि म21 बीघा पर गत 49 सालो से वादी व प्रतिवादी सं0 06 ता [illegible] तक के पिता स्व0 रमजान खां का अपने जीवनकाल तक तत्पश्चात उनके देहावसान पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 06 से 12 तक निर्बाध रूप से उक्त खेत में खेती करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

यह है कि बहक वादी व प्रतिवादी सं0 06 ता 12 वाकै सरहद ग्राम थाणु, पटवार हल्का सुपका, भू—अभि0, नि0 क्षेत्र नुवां तहसील डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 130 रकबा 32 बीघा (पुराना खेत खरसा सं0 106 रकबा 32 बीघा) की 21 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 06 ता 12 तक का नाम बतौर स्वतंत्र खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी सं0 06 ता 12 तक का नाम बतौर स्वतंत्र खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी सं0 01 ता 05 तक का नाम हटाया जाने की घोषणा फरमा कर तदनुसार बाई मिट्स एवं बाउंडस विधिवत बंटवारा फरमाया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी सं0 07 ता 12 का राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तसदीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 05 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद ग्राम थाणू पटवार हल्का सूपका भू0अभि0 निरिक्षक क्षेत्र नुंवा में स्थित खेत खसरा सं0 130 रकबा 32 बीघा के पुराने खेत खसर सं0 106 रकबा 32 बीघा में प्रतिवादी सं0 01 ता 05 का नाम हटाया जाकर, वादी व प्रतिवादी सं0 06 ता 12 को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **14.05.2022** को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:23:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 205/2020 दायर दिनाँक 14.08.2020

वादी

1. अब्दुल रहमान पुत्र स्व0 रमजान जाति व्यापारी मुस्लमान निवासी आस की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हरनारायण पुत्र केदारनाथ
2. प्रहलाद पुत्र केदारनाथ
3. मांगीलाल पुत्र केदारनाथ
4. पन्नालाल पुत्र किशनलाल
5. श्रीनिवास पुत्र नथमल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण थाणु तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
6. उस्मान पुत्र स्व0 रमजान
7. साबीर पुत्र स्व0 रमजान
8. जहाँगीर पुत्र स्व0 रमजान
9. जेनम पुत्री स्व0 रमजान
10. हुस्न पुत्री स्व0 रमजान
11. जाहिदा पुत्री स्व0 रमजान
12. खुर्शीदा पुत्री स्व0 रमजान समस्त जाति व्यापारी मुस्लमान निवासी आस की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
13. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।
14. उप पंजीयक तहसील कार्यालय डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 14.05.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 अली शैरानी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद ग्राम थाणू पटवार हल्का सूपका भू0अभि0 निरिक्षक क्षैत्र नुंवा में स्थित खेत खसरा सं0 130 रकबा 32 बीघा के पुराने खेत खसर सं0 106 रकबा 32 बीघा में प्रतिवादी सं0 01 ता 05 का नाम हटाया जाकर, वादी व प्रतिवादी सं0 06 ता 12 को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.......................
—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:23:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:23:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner